HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 21- HLA of 2024

THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2024

BILL

further to amend the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

This Act may be called the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (Haryana Short title. Amendment) Act, 2024.

In section 23 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023,-2.

Amendment of section 23 of Central Act 46 of 2023.

- in sub-section (2), for the words "fifty thousand", the words "five lakh" shall be substituted; and
- (ii) in sub-section (3), for the words "ten thousand", the words "one lakh" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas, the Central Government has enacted the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023), which has come into force from 1st day of July, 2024. Under section 23 (2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the Court of a Magistrate of First Class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding three years, or of fine not exceeding fifty thousand rupees, or of both, or of community service. Further, under section 23 (3) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the Court of a Magistrate of Second Class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding one years, or of fine not exceeding ten thousand rupees, or of both, or of community service. It has been observed that under certain Acts like the Negotiable Instruments Act, 1881, the objective of imposition of fine instead of sentence cannot be achieved due to maximum limit of fine prescribed under sections 23(2) and 23(3) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, as the amount involved in cheque bounce cases may be much higher than the fine, which can be imposed under the above sections. Further, for the violations of traffic rules, fines have been increased under the Motor Vehicles Act. The maximum limits of fines under the aforesaid provisions is also not in commensurate with the sentence, which can be imposed under the above said provisions. Therefore, it has become necessary to increase the limit of fine prescribed under sections 23(2) and 23(3) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

A legislation namely,the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (Haryana Amendment) Bill, 2024 to increase the limit of the fine, which can be imposed by the Magistrates of First Class and Second Class under sections 23(2) and 23(3) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 respectively and for matters connected therewith or incidental thereto, is required.

Hence, this Bill.

NAYAB SINGH, Chief Minister, Haryana.

Chandigarh: The 13th November, 2024.

Dr. SATISH KUMAR, Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 13th November, 2024, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

ANNEXURE

Extract from the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

- (2) The court of a Magistrate of the First Class may pass a sentence of Section 23: imprisonment for a term not exceeding three years, or of fine not exceeding fifty thousand rupees, or of both, or of community service.
- (3) The court of Magistrate of the Second Class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year, or of fine not exceeding ten thousand rupees, or of both, or of community service.

हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या-21 एच०एल०ए०

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

- यह अधिनियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024 कहा संक्षिप्त नाम। जा सकता है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23 में, -

2023 के केन्द्रीय अधिनियम 46 की

उप—धारा (2) में, "पचास हजार" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख" शब्द धारा 23 का प्रतिस्थापित किए जाएंगेः तथा

संशोधन।

(ii) उप-धारा (3) में, "दस हजार" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबिक, केन्द्र सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) अधिनियमित किया है, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23(2) के तहत, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट का न्यायालय तीन साल से अन्धिक अवधि के कारावास या पचास हजार रुपये से अन्धिक के जुर्माने या दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा दें सकती है। इसके अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23(3) के तहत, द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट का न्यायालय एक साल से अनिधक अवधि के कारावास या दस हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने या दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा दे सकता है। यह देखा गया है कि कुछ अधिनियमों के तहत जैसे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, जिसके तहत चेक बाउंस मामलों में शामिल राशि जुर्माने से बहुत अधिक हो सकती है, में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23(2) और 23 (3) के तहत निर्धारित जुर्माने की अधिकतम सीमा के कारण जुर्माना लगाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए, मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना बढ़ाया गया है। उपरोक्त प्रावधानों के तहत जुर्माने की अधिकतम सीमा भी सजा के अनुरुप नहीं है, जो उपरोक्त प्रावधानों के तहत लगाई जा सकती है। इसलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23(2) और 23(3) के तहत निर्धारित जुर्माने की सीमा को बढ़ाना आवश्यक हो गया है।

एक विधान अर्थात्, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024 जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23(2) और 23 (3) के तहत प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए जा सकने वाले जुर्माने की सीमा को बढ़ाने और उससे जुड़े या उसके अनुषंगिक मामलों के लिए आवश्यक है।

इसलिए, यह विधेयक प्रस्तुत है।

नायब सिंह, मुख्यमन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : दिनांक 13 नवम्बर, 2024 डॉ० सतीश कुमार, सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 13 नवम्बर, 2024 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से उद्धरण

- (2) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का धारा 23: या पचास हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, या सामुदायिक सेवा का, दंडादेश दे सकेगा।
- (3) द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, एक वर्ष से अनिधक अविध के लिए कारावास का या दस हजार रुपए से अनिधक जुर्माने का, या दोनों का, या सामुदायिक सेवा का, दंडादेश दे सकेगा।

